रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 118] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2017/चैत्र 7, 1939
No. 118] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2017/CHAITRA 7, 1939

केन्द्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा, कोरापुट

अधिसूचना

कोरापुट, 24 मार्च, 2017

सं. वीसीओ/के.वि.ड./2017/168.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संविधी और अध्यादेश

अध्यादेश 6

एसोसिएट प्रोफ़ेसर तथा एसिस्टेंट प्रोफ़ेसरों की पदोन्नति एवं प्रगति के लिए मानक/नियम

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 28(1)(0) में अन्तर्निहित शक्तियों के इस्तेमाल में शैक्षणिक परिषद द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर कार्यकारिणी परिषद केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा में एसोसिएट प्रोफ़ेसर तथा असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों की पदोन्नति/पेशेवर प्रगति के लिए मानक/नियमों को निर्धारित करते हुए अध्यादेश का निर्माण करती है।

विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफ़ेसर तथा असिस्टेंट प्रोफ़ेसरों की पदोन्नति/पेशेवर प्रगति के मानक/नियमों को विश्वविद्यालय आयोग द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जायेगा तथा समय-समय पर इसमें सुधार किया जायेगा।

(नई दिल्ली में विषय संख्या ITEM EC:06-4/4 के माध्यम से 30-09-2010 को आयोजित 6ठे सम्मेलन में कार्यकारिणी परिषद द्वारा अनुमोदित)

प्रो. सच्चिदानन्द महांती, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./486/16]

CENTRAL UNIVERSITY OF ORISSA, KORAPUT

NOTIFICATION

Koraput, the 24th March, 2017

No. VCO/CVO/2017/168.—The following is published for general information :—

STATUTES AND ORDINANCES

ORDINACE - 6

NORMS/REGULATIONS FOR PROMOTION/ CAREER ADVANCEMENT OF ASSOCIATE PROFESSORS AND ASSISTANT PROFESSORS

In exercise of the powers vested in Section 28(1)(0) of the University Act, the Executive Council on the proposal made by the Academic council hereby makes the following Ordinance prescribing the norms/ Regulations for promotion/ career advancement of Associate Professors and Assistant professors in Central University of Orissa.

The Promotion / career advancement of Assistant Professors and Associate Professors in the University shall be governed by the Norms/ Regulations prescribed by the University Grants Commission in vogue and as amended from time to time.

(Approved by the Executive Council in its 6th Meeting held on 30.09.2010 Vide No. ITEM: EC: 06-4/4 at New Delhi)

Prof. SACHIDANANDA MOHANTY, Vice Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./486/16]

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.30 13:55:07 +05'30'